निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20/2015
दायरा दिनांकः–17.04.2015
निर्णय दिनांकः– 1.4.25

उनवान

1. भँवरलाल आत्मज काना जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा
2. मेघराज आत्मज छाबुलाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. राजकुमार आत्मज छाबूलाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा
2. सुरेश आत्मज छाबुलाल जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा
3. बृजमोहन आत्मज मदनलाल
4. राजेन्द्र आत्मज मदनलाल
5. विनोद आत्मज मदनलाल
6. रामजीवन आत्मज मदनलाल
7. दीपक आत्मज मदनलाल जातियान धोबी निवासीगण निपानिया तहसील छबडा
8. नांगी बाई बेवा मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा जिला बारां
9. सरकर जर्ये हल्का पटवारी निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. सरकार जर्ये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी छबडा
11. सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

निर्णय दिनांकः– 1.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दौलतराम मीना– प्रार्थी
2. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि उक्त उनवानी प्रकरण में विवादित भूमि एस.सी जाति के खातेदार ने एस टी जाति क्रेतागण को बेचान कर दी थी जिससे धारा 42 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों अनुसार नामान्तरण नही खुला तथा धारा 175 आर0टी0एक्ट0 की कार्यवाही भी अभी तक नही हो पाई। आदेश क्रमांक 3507/2016 दिनांक 30.09.2016 की पालना में वाके माल निपानिया के खसरा नम्बर 571 रकबा 3.07 बीघा का हल्का पटवारी ने मौका देखा था तथा कब्जा बाबत् दिनांक 4.10.2016 को कब्जा मौका रिपोर्ट बनाई थी। जिसमें मौके पर कब्जा क्रेतागण 1981 से कब्जा होना अंकित कर रखा है साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय साक्ष्य ग्रहण है जिसको साक्ष्य में एडमिट करने एवं प्रदर्श करवाने का प्रावधान है क्योकि जो रिपोर्ट हल्का पटवारी ने बनाई वो हल्का पटवारी की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		

रिपोर्ट की नकल तहसील रिकार्ड में नही मिल रही गुम हो गई है एक महिना से आवेदन लगा रखा परन्तु कर्मचारी नकल नही दे रहे है हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 सरकारी दस्तावेज है लोक दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति नही मिलने से प्रतिवादीगण प्रदर्श नही करने दे रहे है एतेराज कर रहे है ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 क ख ग बताती है कि द्वितीय साक्ष्य कोर्ट में पेश की जा सकती है साक्ष्य में ग्रहण है वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रर्दश कराने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण पत्र का जवाब पेश करना नही चाहतें है प्रार्थना पत्र का जवाब बन्द किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है फोटो प्रति पेश की है वादी प्रमाणित दस्तावेज पेश कर न्यायालय फोटो प्रति प्रर्दश डालने की कार्यवाही करवा सकता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		